

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या- 16 / 2019 / 1611 / सत्ताईस-1-2019-01 अवमानना / 19
लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2019

विज्ञप्ति/प्रोन्नति


निर्देश याचिका सं०-1971/2018 राम नारायण सिंह चौहान बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 31.10.2018 के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सिविल संवर्ग के श्री राम नारायण सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त) को उनके कनिष्ठ श्री कृष्ण मुरारी सिंह की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 29.12.2017 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू० 6600 में नोशनल पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


टी० वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या: 16 / 2019 / 1611 (1) / सत्ताईस-1-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ०प्र०, लखनऊ।
8. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी।
- ✓ 9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक(अधिष्ठान)-1/3, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
10. समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ०पी० सिंह)
उप सचिव।

CK

13/6/19
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)
13/6/19